UPCH010019182025

न्यायालय— जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट

व्यवहार अपील सं0—17/2025

1. ठाकुर बाला जी ट्रस्ट तीर्थराजपुरी सीतापुर तहसील कर्वी जिला चित्रकूट मैनेजिंग/ट्रस्टी अध्यक्ष महन्त सत्यप्रकाश दास चेला मं0 रामदुलारे दास स्थान ठाकुर बाला जी मंदिर तीर्थराजपुर सीतापुर तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
2. म0 सत्यप्रकाश दास उम्र 42 वर्ष चेला म0 रामदुलारे दास मैनेजिंग/ट्रस्टी अध्यक्ष ठाकुर बाला जी मंदिर तीर्थराजपुरी सीतापुर तहसील कर्वी जिला चित्रकूट निवासी यज्ञवेदी मंदिर रामघाट सीतापुर चित्रकूट।

....................अपीलार्थीगण

बनाम

1. रमाकान्त द्विवेदी उम्र 70 वर्ष पुत्र शिवसेवक राम ट्रस्टी/सचिव निवासी मलगॉव पोस्ट गोरहया जिला सतना म0प्र0 बाला जी ट्रस्ट चित्रकूट।
2. पुष्पराज सिंह उम्र 54 वर्ष पुत्र हेमरा सिंह ट्रस्टी कोषाध्यक्ष ग्राम चूॅद पोस्ट चूॅद कोटर जिला सतना म0प्र0 बाला जी ट्रस्ट चित्रकूट।
3. रामविलास उम्र 44 वर्ष पुत्र कामता प्रसाद ट्रस्टी/सदस्य बाला जी ट्रस्ट निवासी पहाडी बुजुर्ग तहसील कर्वी चित्रकूट।

..................प्रत्युत्तरदातागण

14.03.2026

1. प्रस्तुत व्यवहार अपील आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आये। अपीलार्थीगण की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री गिरजेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थीगण की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गयी।

2. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय सिविल जज, जू0डि0, चित्रकूट में मूलवाद संख्या— 206/2021 ठाकुर बाला जी ट्रस्ट आदि बनाम रमाकान्त द्विवेदी आदि में सुलहनामा दिनॉकित 24.09.2024 दाखिल किया गया था जिसकी छायाप्रति कागज संख्या— 17ग2/5 व 17ग2/6 दाखिल की गयी है जिसमें कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में फरीकैन आपस में सुलह हो गये है और अब कोई निजा बाकी नहीं रह गयी है। सुलहनामा में तय पाया गया है कि वादी बाला जी ट्रस्ट की सम्पत्ति सम्पत्ति एवं बाला जी मंदिर तीर्थराजपुरी चित्रकूट का महन्त एवं सरबराहकार नियुक्त किया किया जावे तथा प्रतिवादीगण ट्रस्ट के सचिव/सदस्य/कोषाध्यक्ष बने रहेगें। वादी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दस्तखत रजामन्दी जैल में सिप्त है। खर्चा मुकदमा जिम्मे फरीकैन रहेगा, अतः जरिये सुलहनामा हाजा वाद का निस्तारण किया जावे तथा सुलहनामा डिक्री का अंश माना जावे।

3. प्रस्तुत अपील में न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य सुलह समझौता हेतु मध्यस्थता केन्द्र मामला सन्दर्भित किया गया जहॉ पर उभयपक्ष उपस्थित हुए जहॉ पर म0 सत्यप्रकाश दास एवं रमाकान्त द्विवेदी की वार्ता करायी गयी जिनके द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल सुलहनामा उन्हें स्वीकार है। दिनॉक 24.09.2024 के सुलहनामा के आधार पर वह लोग सुलह हैं, अतः सुलहनामें के आधार पर वाद निर्णीत किया जावे।

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.03.14 13:49:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. तद्नुसार अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत सुलहनामा दिनॉकित 24.09.2024 कागज सं0— 17ग2/5 व 17ग2/6 के आधार पर प्रस्तुत व्यवहार अपील निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत व्यवहार अपील सं0—17/2025 ठाकुर बाला जी ट्रस्ट व अन्य बनाम रमाकान्त द्विवेदी व अन्य, प्रस्तुत सुलहनामा दिनॉकित 24.09.2024 कागज सं0— 17ग2/5 व 17ग2/6 के आधार पर निर्णीत की जाती है। सुलहनामा दिनॉकित 24.09.2024 कागज सं0— 17ग2/5 व 17ग2/6 आज्ञप्ति का अंश होगा। विद्वान विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजा जावे।

दिनॉक—14.03.2026

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी05751